

थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा अवैध चरस 310 ग्राम व अवैध शस्त्र व एक चोरी की मोटरसाइकल सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ श्री डा० ओ० पी० सिंह के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10-09-2023 को थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जयवीर पुत्र दंगली उर्फ दंगल सिंह निवासी ग्राम बस्तोई सीकरी थाना जरीफनगर बदायूँ को ग्राम बस्तोई सीकरी से नगरिया फतन चौराहे से 310 ग्राम चरस व एक तमंचा 315 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल न० UP 38 W 8638 व इंजन न० HA11E7P4C01066 चैचिस नम्बर MBLHAW220P4C01436 के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना जरीफनगर पर मु०अ०सं० 236/2023 धारा 8/20 N.D.P.S. Act., व धारा 3/25 (1-B)a A.Act. व 467/468/471 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायाय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया साहब मेरी 1.रामेश्वर 2.राजवीर 3.सोनपाल पुत्रगण कंचनलाल 4.नबाव सिंह 5.ऋषिपाल पुत्र नौबत सिंह 6.धीरेन्द्र पुत्र गजजू निवासीगण बस्तोई सीकरी थाना जरीफनगर बदायूँ से पुरानी रंजिश चल रही है जिस कारण मैं अवैध शस्त्र व कारतूस रखता हूँ तथा चरस को बेचकर मैं अपने खर्च पूरे करता हूँ यह मोटरसाइकिल मैं दिल्ली से लाया था और यहाँ नम्बर प्लेट बदलकर इस्तेमाल करता हूँ जो किसी ओर के नाम है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

(1) जयवीर पुत्र दंगली उर्फ दंगल सिंह निवासी ग्राम बस्तोई सीकरी थाना जरीफनगर बदायूँ उम्र करीब 30 वर्ष अपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०सं० 238/2016 धारा 323/452 भादवि थाना जरीफनगर बदायूँ
- 2.मु०अ०सं० 243/2016 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जरीफनगर बदायूँ
- 3.मु०अ०सं० 233/18 धारा 392 भादवि थाना इस्लामनगर बदायूँ
- 4.मु०अ०सं० 016/2020 धारा 392/411 भादवि थाना सहसवान बदायूँ
- 5.मु०अ०सं० 3035/18 धारा 411/414 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद
- 6.मु०अ०सं० 281/2020 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना गुन्नौर सम्भल
- 7.मु०अ०सं० 282/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गुन्नौर सम्भल
- 8.मु०अ०सं० 181/2022 धारा 41 सीआरपीसी थाना जुनावई सम्भल

9.मु0अ0स0 121/2023 धारा 411/413/414/420/468/471 भादवि व 41/102 भादवि व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

10.मु0अ0स0 236/2023 धारा 8/20 N.D.PS. Act., व धारा 3/25 (1-B)a A.Act. व 467/468/471 भादवि

बरामदगी का विवरण

1. करीब 310 ग्राम चरस
2. एक तमंचा 315 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाईकिल न0 UP 38 W 8638 व इंजन न0 HA11E7P4C01066 चैचिस नम्बर MBLHAW220P4C01436

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. SHO राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक जरीफनगर
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना जरीफनगर
3. का0 1832 लववीर थाना जरीफनगर
4. का0 1906 अमित कुमार थाना जरीफनगर

सोशल मीडिया सेल

जनपद बढ़ायँ।